

30/4/2022

अभिलेख उपस्थापित । देनदार के द्वारा बकाया राशि कार्यालय के नज्दत आवा के N.A. No. - 3409454, दिनांक - 19.4.2022 के द्वारा जमा किया गया है।

आवा प्रबंधक SBI के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि देनदार द्वारा अपनी बिल राशि के 50% राशि जमा करने के पश्चात देनदार के संबंधित नीलाम पत्र वाद लोक अदालत के आपली समझ के तहत निष्पादन किया जाता है।

वर्तमान में दैनिकार द्वारा 50% वीश जमा कर दिया गया है।

अतः लोक अदालत में जीलाक पत्र बंद निष्पादन की प्रकाशा में अफिलेख की कारवाई बंद की जाती है।

लेखापत्र
जीलाक पत्र पदाधिकारी
याकुलिमा